

नई दिल्ली, 6 जून, 2007

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 को खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मारतीय लोखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियमावली, 2007 है।  
 (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में नियम 10 में:—  
 (i) उप-नियम 5 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
     “5 (क) उप-नियम (7) में दिए गए प्रावधानों के अवधीन इस नियम के तहत किया गया अथवा किया गया समझा जाने वाला कोई निलंबन आदेश तय तक लागू रहेगा जब तक कि इसे संशोधित करने अथवा रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कर नहीं दिया जाए।”  
 (ii) उप नियम (6) में “निलम्बन के आदेश की तारीख से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व” शब्दों के स्थान पर “निलम्बन की प्रभावी तारीख से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।  
 (iii) उप नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्  
     “(1) इस नियम के उप-नियम (1) अथवा (2) के तहत किया गया अथवा किया हुआ माना गया निलम्बन का कोई आदेश 90 दिन की अवधि के पश्चात् वैध नहीं रहेगा जब तक कि इसे समीक्षा के बाद, 90 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आग की अवधि के लिए और बढ़ा नहीं दिया जाए।”  
     “(2) यह कि उप-नियम (2) के तहत माने गए निलंबन के मामले में निलंबन की ऐसी समीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं होगा, यदि सरकारी कर्मचारी, निलम्बन को 90 दिन की अवधि पूरी होने के समय पर निलंबित बना रहता है और ऐसे मामले में 90 दिन की अवधि उस तारीख से गिरी जाएगी, जिस तारीख से अधिकारी (कंस्टडी) में रखा गया सरकारी कर्मचारी जेल से रिहा कर दिया जाता है अथवा वह तारीख जो उसके जेल से रिहा होने के संबंध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सम्प्रेरित की जाती है, इनमें से जो भी बाद में हो।”

[फा. सं. 11012/4/2003-स्थ. (क)]

पी. प्रभाकरन, उप सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम, दिनांक 20-11-65 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्थ. (क) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित संशोधनों और तारीखों के अंतर्गत भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

का. आ. 1149 दिनांक 13 अप्रैल, 1966

का. आ. 1396 दिनांक 4 जून, 1966

का. आ. 2007 दिनांक 9 जुलाई, 1966

का. आ. 2648 दिनांक 2 सितम्बर, 1966

का. आ. 2854 दिनांक 1 अक्टूबर, 1966

का. आ. 1282 दिनांक 15 अप्रैल, 1967

- का. आ. 1457 दिनांक 29 अप्रैल, 1967  
 का. आ. 3253 दिनांक 16 सितम्बर, 1967  
 का. आ. 3530 दिनांक 7 अक्टूबर, 1967  
 का. आ. 4151 दिनांक 25 नवम्बर, 1967  
 का. आ. 321 दिनांक 9 मार्च, 1968  
 का. आ. 1441 दिनांक 27 अप्रैल, 1968  
 का. आ. 1870 दिनांक 1 जून, 1968  
 का. आ. 3423 दिनांक 28 सितम्बर, 1968  
 का. आ. 5008 दिनांक 27 दिसम्बर, 1969  
 का. आ. 397 दिनांक 7 फरवरी, 1970  
 का. आ. 35217 दिनांक 25 सितम्बर, 1971  
 का. आ. 249 दिनांक 1 जनवरी, 1972  
 का. आ. 990 दिनांक 22 अप्रैल, 1972  
 का. आ. 1600 दिनांक 1 जुलाई, 1972  
 का. आ. 2789 दिनांक 14 अक्टूबर, 1972  
 का. आ. 929 दिनांक 31 मार्च, 1973  
 का. आ. 1648 दिनांक 6 जुलाई, 1974  
 का. आ. 2742 दिनांक 31 जुलाई, 1976  
 का. आ. 4664 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976  
 का. आ. 3062 दिनांक 8 अक्टूबर, 1977  
 का. आ. 3573 दिनांक 26 नवम्बर, 1977  
 का. आ. 3574 दिनांक 26 नवम्बर, 1977  
 का. आ. 3671 दिनांक 3 दिसम्बर, 1977  
 का. आ. 2464 दिनांक 2 सितम्बर, 1978  
 का. आ. 2465 दिनांक 2 सितम्बर, 1978  
 का. आ. 920 दिनांक 17 फरवरी, 1979  
 का. आ. 1769 दिनांक 5 जुलाई, 1980  
 का. आ. 264 दिनांक 24 जनवरी, 1981  
 का. आ. 2126 दिनांक 8 अगस्त, 1981  
 का. आ. 2203 दिनांक 22 अगस्त, 1981  
 का. आ. 2512 दिनांक 3 अक्टूबर, 1981  
 का. आ. 168 दिनांक 23 जनवरी, 1982  
 अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था. (क) दिनांक 5 जुलाई, 1985  
 अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था. (क) दिनांक 29 जुलाई, 1985  
 अधिसूचना सं. 11012/06/84-स्था. (क) दिनांक 6 अगस्त, 1985  
 का. आ. 5637 दिनांक 21 दिसम्बर, 1985  
 का. आ. 5743 दिनांक 28 दिसम्बर, 1985  
 अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था. (क) दिनांक 26 नवम्बर, 1986  
 का. आ. 830 दिनांक 28 मार्च, 1987  
 का. आ. 831 दिनांक 28 मार्च, 1987  
 का. आ. 1591 दिनांक 27 जून, 1987  
 का. आ. 1825 दिनांक 18 जुलाई, 1987  
 का. आ. 3060 दिनांक 15 अक्टूबर, 1988  
 का. आ. 3061 दिनांक 16 अक्टूबर, 1988  
 का. आ. 2207 दिनांक 16 सितम्बर, 1989  
 का. आ. 1084 दिनांक 28 अप्रैल, 1990  
 का. आ. 2208 दिनांक 25 अगस्त, 1990  
 का. आ. 1481 दिनांक 13 जून, 1992  
 मा.का.नि. 289 दिनांक 20 जून, 1992/भाग-II, खण्ड 3,  
 उप-खण्ड (i) में